जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 69 प्रभात कोटा, सोमवार 22 दिसम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'संघ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करता है पर मुस्लिम विरोधी नहीं है'

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ को भाजपा के नज़रिए से समझना गलत है

- **कोलकाता में आरएसएस के शताब्दी समारोह में व्याख्यान देते हुए भागवत ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य नैतिक रूप से ईमानदार और गुणी व्यक्तियों का निर्माण करना है, जो सेवा, मूल्यों व राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित हों व देश के विकास में योगदान दें।**

कोलकाता, 21 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संगठन का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए।

भागवत ने संघ के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में कोलकाता में आरएसएस 100 व्याख्यान माला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कहा कि आरएसएस को संकीर्ण या तुलनात्मक ढ ांचों से नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर आप संघ को समझना चाहते हैं, तो इसका अनुभव करना पड़ेगा। तुलना करने से गलतफहमी होगी। अगर आप संघ को सिर्फ एक और सेवा संगठन मानते हैं, तो आप गलत हैं।"

भागवत ने कहा, "बहुत से लोगों की प्रवृत्ति संघ को भाजपा के नज़रिए से समझने की होती है, जो बहुत बड़ी गलती है।" उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा के कई नेताओं की जड़ें आरएसएस में हो सकती हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग भूमिकाओं वाले अलग-अलग संगठन हैं। बाद में कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस राजनीति नहीं करता है और उसका कोई दुश्मन नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह संगठन पूरी तरह से हिंदू समाज की भलाई, सुरक्षा और एकता के लिए काम करता है। उन्होंने कहा, "संघ को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसका नाम जानते हैं लेकिन इसके काम को नहीं समझते। आरएसएस दुश्मनी या टकराव की मानसिकता से काम नहीं करता।" संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य सज्जन यानी नैतिक रूप से ईमानदार और गुणी व्यक्तियों का निर्माण करना है जो सेवा, मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित हों और जो देश के विकास में योगदान दें।

भागवत ने कहा कि संगठन के विकास से कुछ लोगों के हितों पर असर पड़ सकता है, जिससे विरोध हो सकता है, लेकिन संघ खुद किसी को दुश्मन नहीं मानता। आरएसएस के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए भागवत ने कहा कि ऐसी धारणाएं तथ्यों के बजाय कहानियों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि संघ का काम पारदर्शी है और कोई भी इसे देख सकता है। उन्होंने कहा, "जो लोग आए हैं और हमारे काम को देखा है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं हैं।" उन्होंने आलोचकों से संगठन का दौरा करने और इसे सीधे समझने का आग्रह किया।

इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के अंदर ज़्यादा एकता और भूली हुई सांस्कृतिक तथा सामाजिक जड़ों की ओर लौटने का आ ान किया। बंगाल की विरासत का ज़िक्र करते हुए भागवत ने स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों को याद किया। उन्होंने सामाजिक सुधार में उनकी भूमिका के लिए राजा राम मोहन रॉय की खास तौर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति ने वीबी-जी राम जी विधेयक को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ग्रामीण रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव वाले विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी विधेयक 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) तथा परिपूर्ण तरीके से सेवा-प्रदाय को आगे बढ़ ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होगी।

- **यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के मजदूरी रोज़गार की गारंटी प्रदान करता है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा सीट नहीं मिली तो रणनीति पर पुर्नविचार करेंगे- मांझी

- **पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, "अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमें अपनी राह खुद बनानी होगी।"**

गया जी, 21 दिसंबर। पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि उन्हें एनडीए में अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि उनकी पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को आगामी राज्यसभा चुनावों में सीट नहीं दी जाती है, तो उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी अपने गयाजी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। मांझी अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन, जो हम के राज्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के साथ उपस्थित थे। मांझी ने गठबंधन में अपने साथ हुए कथित "विश्वासघात" का जिक्र करते हुए स्थानीय भाषा मगही में कहा, "अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। मेरा अपना मंत्री पद कोई बडी बात नहीं है। अगर मैं केंद्रीय कैबिनेट में नहीं भी रहूं तो भी मैं राजनीतिक रूप से टिक जाऊंगा।" उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी, जिसका संसद में केवल एक सांसद है, अब राज्यसभा में भी सीट चाहती है। हालांकि, जब पत्रकारों ने उनसे और सवाल किए, तो मांझी ने अपनी विशिष्ट शैली में पलटी लेते हुए कहा, "कृपया मेरे शब्दों को संदर्भ से बाहर न पेश करें। मैं अपनी पार्टी का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि मैं उसका कार्यालय अधिकारी नहीं बल्कि केवल संरक्षक (संग्रक्षक) हूं।"

'बाँग्लादेश उच्चायोग सुरक्षित, बाँग्लादेशी मीडिया दुष्प्रचार से बचे'

- **विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। विदेश मंत्रालय ने यहां स्थित बंगलादेश उच्चायोग की सुरक्षा के बारे में बंगलादेशी मीडिया में किए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उच्चायोग की सुरक्षा की स्थिति खराब करने की कोई कोशिश नहीं की गई है और लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां स्थित बंगलादेश उच्चायोग के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में रविवार को कहा कि भारत विएना कन्वेंशन के अनुसार अपने क्षेत्र में विदेशी मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बंगलादेशी मीडिया इस बारे में दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहा है।

प्रवक्ता ने कहा, " हमने इस घटना पर बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में गुमराह करने वाला दुष्प्रचार देखा है। सच यह है कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने लगभग 20-25 युवा इकट्ठा हुए और उहोंने मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भयानक हत्या के विरोध में नारे लगाए, साथ ही बांग्लादेश में सभी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनरेगा से गांधी का नाम हटाना, उनकी दूसरी हत्या है- चिदंबरम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि इस विधेयक से ग्रामीण रोजगार की गारंटी कमज़ोर हो गई

- **पी. चिदंबरम ने कहा कि गांधी और नेहरू को सरकारी आदेशों से नहीं मिटाया जा सकता, वे देश की चेतना में बुद्ध और यीशू की तरह जीवित हैं।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इसे महात्मा गांधी की दूसरी हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित नए कानून के जरिए न सिर्फ गांधी की स्मृति को मिटाने की कोशिश की गई है, बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार हुआ है।

चिदंबरम ने कहा कि 18 दिसंबर को संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी विधेयक पारित किया, जो 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बदलाव बिना पर्याप्त चर्चा के किया गया और इससे ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी इस कानून का लगातार विरोध करेगी। हालांकि आज ही यानी रविवार को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूर भी कर दिया है।

चिदंबरम ने कहा कि महात्मा गांधी की पहली हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और अब उनकी स्मृति को फिर से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू को सरकारी आदेशों से नहीं मिटाया जा सकता, वे देश की चेतना में बुद्ध और यीशु की तरह जीवित हैं।

चिदंबरम ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित अधिकार था। अगर कोई काम मांगता था तो सरकार कानूनी रूप से उसे काम देने के लिए बाध्य थी। नए कानून में यह अधिकार खत्म हो गया है और अब सरकार की मर्जी से काम दिया जाएगा। इससे ग्रामीण गरीब, दिहाड़ी मजदूर और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।

चिदंबरम ने नए कार्यक्रम के नाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए हिंदी नाम दक्षिण भारत के ग्रामीणों के लिए समझना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह योजना पूरे देश में लागू नहीं होगी, बल्कि केवल केंद्र द्वारा तय किए गए जिलों तक सीमित रह जाएगी।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत देती थी। नए कानून में राज्यों पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। बजट आवंटन लगातार घट रहा है। चार साल पहले जहां 1.11 लाख करोड़ रुपये थे, अब यह 65 हजार करोड़ तक आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्यों के पास पैसा नहीं हुआ तो योजना जमीन पर लागू ही नहीं हो पाएगी।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की विजय

मुंबई, 21 दिसंबर। महाराष्ट्र में आए 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिणामों ने महायुति को राज्य की अविवादित शक्ति बना दिया है। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा किया है, जिसमें भाजपा 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51 और अजित पवार की एनसीपी 35 निकायों के साथ अग्रणी हैं। इसके विपरीत, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) मात्र 51 निकायों पर सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस (35) ने उद्धव सेना (9) और शरद पवार की एनसीपी (7) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

- **कुल 288 निकायों में से भाजपा ने 129, एकनाथ शिंदे ने 51 तथा अजित पवार ने 35 पर विजय प्राप्त की।**

कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने अपनी हार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय सांख्यिकी संस्थान पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ा- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षा संस्थान विचारधारा से नहीं ज्ञान-विज्ञान से चलने चाहिए

- **कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान आईएसआई के छात्रों ने उनसे मुलाकात यह चिंता जताई थी कि अकादमिक फैसलों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संस्थागत प्रभाव बढ़ रहा है। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थान किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान से चलने चाहिए। राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आईएसआई के छात्रों से हुई मुलाकात का एक वीडियो अपने वाट्सऐप पर साझा किया।

ज्ञातव्य है कि यह बातचीत संसद परिसर में उनके 'जन संसद' कार्यक्रम के तहत हुई थी, जिसमें वे अलग-अलग वर्ग के लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि आईएसआई के छात्रों ने वही चिंताएं जताईं, जो देश के दूसरे शिक्षण संस्थानों के छात्र और शिक्षक पहले से उठाते आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आईएसआई में अब अकादमिक फैसलों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है।

इस दौरान राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आईएसआई कोई साधारण संस्थान नहीं है। यह संस्थान आंकड़े, गणित, अर्थशास्त्र, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शोध करता है और देश को विश्वस्तरीय विशेषज्ञ देता रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिन अकादमिक परिषदों को शिक्षाविदों द्वारा चलाया जाना चाहिए, वहां अब नौकरशाही और विचारधारा का हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम और रिसर्च पर भी आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है।

राहुल गांधी ने आगे इसे शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्थानों को कमजोर करने की साजिश बताया। राहुल गांधी का कहना है कि इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है और आगे चलकर इन संस्थानों का निजीकरण या उनकी संपत्तियों को बेचने की तैयारी की जा सकती है।

राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह हमला सिर्फ संस्थानों पर नहीं, बल्कि देश की बौद्धिक आज़ादी, वैज्ञानिक सोच और युवाओं के भविष्य पर है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस इसे किसी भी हालत में होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आज़ादी चाहिए और देश के संस्थान ज्ञान, विज्ञान और स्वतंत्र सोच से चलने चाहिए, न कि किसी भी विचारधारा से।

हरियाणा की सायबर क्राइम थाना टीम रिश्वत की राशि के साथ पकड़ी गई

- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कुचामन सिटी में चैकिंग के दौरान हरियाणा के उपनिरीक्षक व पुलिस स्टाफ को 6 लाख रूपए की अवैध नकदी के साथ पकड़ा।**

जयपुर, 21 दिसम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अजमेर टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा, के उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार एवं पुलिस स्टाफ के अन्य सदस्यों को छह लाख रुपये की अवैध राशि सहित पकड़ा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो में गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा पुलिस का स्टाफ हरियाणा में दर्ज साइबर क्राइम के मुकदमे के अनुसंधान एवं आरोपियों की तलाश के लिए आया हुआ है एवं प्रकरण में संदिग्ध लोगों को डरा धमकाकर अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त कर वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 से हरियाणा जा रहा है।

एसीबी अजमेर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी के नेतृत्व में तुरन्त कार्यवाही करते हुये जिला डीडवाना-कुचामन में पुलिस थाना कुचामन सिटी के क्षेत्र त्रिशिंगिंया में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में प्रदूषण रविवार को 400 से अधिक

- **शनिवार को कई इलाकों में एक्यूआई 500 से अधिक हो गया था।**

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में बना रहा। शहर के कई प्रमुख इलाकों में सुबह के समय एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, अक्षरधाम, आईटीओ, गाजीपुर और आनंद विहार इलाकों में एक्यूआई 438 दर्ज हुआ।

बारापुला फ्लाईओवर पर एक्यूआई 382 और धौला कुआँ पर 397 रहा, जो दोनों बहुत खराब श्रेणी में आते हैं। शनिवार की तुलना में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा से अरावली का 90 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित क्षेत्र में आयेगा- भूपेंद्र यादव

पिछले दिनों से बड़े स्तर पर चर्चा है कि परिभाषा बदलने से बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सकेगी

- **केन्द्र सरकार ने कहा कि अरावली के लिए असली खतरा अवैध व अनियंत्रित खनन है। इसे रोकने के लिए कड़ी निगरानी, प्रवर्तन तथा ड्रोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल की सिफारिश की है।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखलाओं में से एक, अरावली पर्वत शृंखला इन दिनों खूब चर्चा में है। रविवार को केन्द्र सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि अरावली की परिभाषा बदल दी गई है ताकि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सके। सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में नए खनन लीज पर रोक लगाई हुई है। मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी वाली नई परिभाषा के अनुसार, अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित क्षेत्र में आएगा।

ज्ञातव्य है कि बीते दिनों इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाब दाखिल किया। इसी जवाब के बाद से देशभर में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिन्हें लेकर अरावली शृंखला चर्चा के केंद्र में आ गई। इतना ही नहीं अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर "सेव अरावली कैंपेन" यानी अरावली बचाओ अभियान चल पड़ा है।

मामले में सरकार ने साफ किया कि अरावली की परिभाषा राज्यों में प्रमाणित की गई है ताकि किसी प्रकार का गलत इस्तेमाल न हो। इससे पहले, अलग-अलग राज्य खनन की अनुमति देते समय अलग-अलग नियम अपनाते थे।सरकार के अनुसार, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कानूनी खनन बहुत ही छोटे हिस्से में होता है, केवल 0.19 प्रतिशत। दिल्ली में खनन की अनुमति नहीं है। केंद्र ने बताया कि अरावली के लिए असली खतरा अवैध और अनियंत्रित खनन है। इसे रोकने के लिए समिति ने कड़ी निगरानी, प्रवर्तन और ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में एक समिति बनाई थी, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति का काम था कि अरावली की एक समान परिभाषा तय की जाए। समिति ने पाया कि केवल राजस्थान का ही 2006 से एक स्थायी नियम था, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर या उससे ऊंचे भूमि स्वरूप को पहाड़ी माना जाएगा और उसकी न्यूनतम सीमा के अंदर खनन प्रतिबंधित होगा। ऐसे में अब सभी चार राज्य राजस्थान के इस नियम को अपनाएंगे और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी होंगे। इसके तहत 500 मीटर के भीतर आने वाली पहाड़ियों को एक ही श्रृंखला माना जाएगा। खनन की अनुमति देने से पहले भारतीय सर्वेक्षण के नक्शों पर पहाड़ियों और उनकी श्रृंखलाओं का नक्शा बनाना अनिवार्य होगा और कोर और अविनाशी क्षेत्र की पहचान करना होगा, जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरकार ने बताया कि यह गलत है कि केवल 100 मीटर से ऊंची जगहों पर खनन पर रोक है। पूरे पहाड़ी क्षेत्र और उसके चारों ओर की भूमि पर रोक लागू होगी।

गौरतलब है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को मान्यता दी। इसके अनुसार, कोर और अविनाशी क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों, इको-सेंसिटिव जोन, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स और उनके आसपास खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल कुछ विशेष, राष्ट्रीय महत्व के खनिजों के लिए ही सीमित छूट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज़ तब तक नहीं दी जाएगी जब तक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा सतत खनन प्रबंधन योजनातैयार नहीं हो जाती।